

No.1 :: न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के कर्मचारियों के Death/Dissability के केस में उनके परिवारों को मिलने वाले Additional Benefit न मिलने के सम्बन्ध में।

No. 2 : पहली कक्षा से पूर्व तीन कक्षाओं की ट्यूशन फीस के रीम्बर्समेंट के सम्बन्ध में।

No. 3 : रनिंग स्टाफ के प्रापर रेस्ट के लिये इलाहाबाद मण्डल के इलाहाबाद-मुगलसराय सेक्शन में मेल/माल गाड़ियों को उनकी गति के अनुसार आगे-पीछे रखकर चलाना।

No. 4 : कर्मचारियों को APAR की प्रतिलिपि देने के सम्बन्ध में।

No. 5 : रिवाइज्ड PPO जारी करने के सम्बन्ध में।

X No. 6 : रिटायर्ड कर्मचारियों के प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट वार्ड की सुविधा हेतु।

No. 7 : नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में ट्रैक मशीन पर कार्यरत कर्मियों की समस्यायें।

No. 8 : रनिंग स्टाफ को वेतन (पे + ग्रेड पे) पर 30 % जोड़ने के बाद आये वेतन पर वार्षिक वेतन वृद्धि देने के सम्बन्ध में।

No. 9 : इलाहाबाद स्थित रेलवे इंस्टीट्यूट की मरम्मत एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

No. 10 : रेलवे बोर्ड के आदेशों के बावजूद NCRES के हेडक्वार्टर इलाहाबाद के RELHS कार्ड होल्डरों को कैशलेस सर्विसेज के लिये स्मार्ट कार्ड न दिया जाना एवं वाराणसी में कोई रेफरल अस्पताल न होना।

No. 11: एस एण्ड टी विभाग की समस्यायें।

उपरोक्त को देखते हुये NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के सिग्नल विभाग में :-

(i) आटोमेटिक सेक्शन एवं स्टेशन सेक्शन के डिपो/टेक्निकल इन्चार्ज अलग-अलग बनाये जाय।

(ii) रेलवे बोर्ड के नार्म्स के अनुसार नये पद सृजित किये जाय।

(iii) नाइट फेलियर गैंग एवं हैवी रिपेयर गैंग बनाई जाय।

(iv) हर स्टेशन पर ई.एस.एम. की आठ घंटे की डियूटी सुनिश्चित की जाय।

(v) जे.ई./एस.एस.ई./सिग्नल को रेस्ट पर हेडक्वार्टर छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाय।

(vi) जे.ई./एस.एस.ई./टेलीकाम को भी साप्ताहिक विश्राम दिया जाय।

(vii) उन सभी संकेत कर्मचारियों एवं दूरसंचार कर्मचारियों को जिनको सरकारी वाहन नहीं दिये गये हैं और जो रोज आटो सेक्शन में मेन्टेनेंस/इन्सपेक्शन हेतु अपने निजी वाहन से जाते हैं उन्हें Fixed Conveyance Allowance दिया जाय।

No. 12: Engg विभाग के ट्रैकमेन्टेनरों को गेट लाज, गैंग हटो में बिजली पानी न दिया जाना एवं कार्य हेतु वाकी-टाकी न दिया जाना।

- ✓ No. 13. टेक्नी. ग्रेड-1 (GP-2800) से मास्टर क्राफ्ट्स मैन (MCM) (GP-4200) में प्रमोशन हेतु टेक्नीशियन कैडर में 10 वर्ष कार्य करने की बाध्यता एवं रेजीडेन्सी पीरियड के सम्बन्ध में।
- ✓ No. 14. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इलाहाबाद के केन्द्रीय चिकित्सालय एवं स्मिथ रोड, इलाहाबाद के ड्रेनेज सिस्टम के सुधार हेतु।
- ✓ No. 15. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में GDCE कोटे के तहत समय से परीक्षा न होना।

अतः NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में अक्टूबर 2013 को जारी GDCE नोटिफिकेशन के तहत सभी कैडरों में परीक्षा कराकर तुरन्त परिणाम घोषित किया जाय। साथ ही NCRES यह भी मांग करती है कि GDCE परीक्षा के लिये एक कैलेन्डर घोषित किया जाय और उसी के अनुसार परीक्षा सम्पन्न करा कर हर वर्ष तय समय में परिणाम घोषित कर दिया जाय।

- ✓ No. 16. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में गार्डो एवं ब्रेकवानो की खराब दशा के सम्बन्ध में।
- Handwritten ✓ No. 17. रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 11.04.2014 का अनुपालन इंजीनियरिंग विभाग में कराना और कैरेज एण्ड वैगन एवं इलेक्ट्रिकल विभाग में ग्रुप "सी" एवं ग्रुप "डी" (Erst While Group D) कर्मचारियों को उपस्थिति दर्ज कराने हेतु हस्ताक्षर का अधिकार देने के सम्बन्ध में।
- No. 18. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के सेन्ट्रल हास्पिटल में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिये डारमेट्री हाल के निर्माण के सम्बन्ध में।
- No. 19. डिवीजनल कैशियर (रिसिप्ट) और डिवीजनल कैशियर (पेमेन्ट) को आनरेरियम के भुगतान के सम्बन्ध में।
- No. 20. ए.सी. कोच अटेन्डेन्ट/ ए.सी. कोच इंचार्जो और कैरेज एण्ड वैगन के एस्कार्टिंग स्टाफ को ओवर टाइम एवं रात्रि भत्ता देने के सम्बन्ध में।
- No. 21. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के विभिन्न कार्यालयों में RO फिल्टर लगाने की पालिसी बनाने के सम्बन्ध में।
- No. 22. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के जोनल एवं डिवीजनल हेडक्वार्टरों पर कर्मचारियों एवं उनके बच्चों के लिये मेडिटेशन/योगा सेन्टर एवं अन्य मनोरंजन की सुविधायें देने के सम्बन्ध में।
- No. 23. रेलवे क्वार्टरों में एक AC का प्वाइंट न दिया जाना।
- No. 24. फीस रिग्वर्समेंट, लार्जस/नार्मल रिटायरमेंट पर पेंशन चालू होने, प्रमोशन/स्टाफ ग्रिवान्स के निपटारे, आर. टी. आई, रीस्ट्रक्चरिंग, मेडिकली डिक्लेगरेड कर्मचारियों का पुनः संयोजन आदि में देरी होने के सम्बन्ध में

अतः NCRES की मांग है कि उपरोक्त सभी कार्यों के लिये एक समयबद्ध action plan जारी किया जाए जिसमें सभी विभागों में समन्वय बना कर तय समय सीमा में फीस रिग्वर्समेंट, लीव इनकेशमेंट भुगतान, प्रमोशन, एम.ए.सी.पी, समापन भुगतान, पेंशन आदि को देना सुनिश्चित किया जाय और रिटायर होने पर कर्मचारियों को आई कार्ड, मेडिकल आई कार्ड, सेवानिवृत्ति के दिन ही देना सुनिश्चित किया जाय।

No. 25 MACP का लाभ देते समय ट्रेनिंग पिरियड को जोड़ा जाना ।

No. 26 आगरा मण्डल में मेडिकल विभाग के मिनिस्टीरियल स्टाफ को कार्मिक विभाग में मर्ज किया जाना ।

No. 27 कर्मचारियों को रिक्तियों रहने के बावजूद समय पर प्रोन्नति न देना

No. 28. रेल सेवा से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के आदेशों के तहत तय तिथि से लाभ न मिलने के सम्बन्ध में।

अतः NCRES की मांग है कि संघ को नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में रिस्ट्रक्चरिंग 2013 एवं ट्रेकमेन्टेनरों की रिस्ट्रक्चरिंग के तहत प्रमोशन पाये कर्मचारियों की एक ऐसी सूची उपलब्ध कराई जाय जिनका प्रमोशन उनके रिटायरमेंट के बाद हुआ हो जिससे उस सूची के अनुसार NCRES रिटायर्ड कर्मचारियों से उनके प्रमोशन/भुगतान के विषय में जानकारी ले सके। साथ ही NCRES की यह भी मांग है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को रिवाइज्ड PPO जारी कर ग्रेजुटी, लीव, कम्प्यूटेशन, पेंशन आदि के ऐरियर का भुगतान किया जाय।

No. 29. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में रिस्ट्रक्चरिंग 2013 की विसंगतियां।

अतः NCRES की मांग है कि -

(i) रिस्ट्रक्चरिंग 2013 के रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 08.01.2013 के पैरा 4.5 के अनुसार सिगनल विभाग के GP-2800 में प्रतिशत कम किये जाने के बाद भी Chain/Resultant Vaccencies के तहत प्रमोशन पाये इलाहाबाद मंडल के टेक्नीशियन (सिगनल) ग्रेड I (GP-2800) के पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दिनांक 01.11.2013 से दिया जाय। एवं ,

(ii) तीनों मंडलों के ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों को जो दिनांक 01.11.2013 को अपना 02 वर्ष का रेजीडेन्सी पीरियड पूरा नहीं होने के कारण प्रमोट नहीं हो पाये थे उन्हें उनका दो वर्ष पूरा होने के दिनांक से ही प्रमोशन प्रभावी किया जाय।

No. 30. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में इंजीनियरिंग विभाग में LDCE/सीनियरिटी कोटे के तहत समय से परीक्षा न होना।

अतः NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में इंजीनियरिंग विभाग में 20% LDCE कोटा एवं 20% सीनियरिटी प्रमोशनल कोटा की सभी पूर्व की वेकेन्सी पर तुरन्त परीक्षा कराकर परिणाम घोषित किया जाय।